

## राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राज.)

फोन नं: 0141-2228066, 2228064 फैक्स नं 0141-2228065

वेबसाइट : [www.rmsh.health.rajasthan.gov.in](http://www.rmsh.health.rajasthan.gov.in)

सीआईएन. : U24232RJ2011SGC035067

ई-मेल :: [edprmsc@nic.in](mailto:edprmsc@nic.in)

क्रमांक : F.02(353)/RMSCL/PROCUREMENT /DRUG/NIB-10/2022/ 8586

Dated: 22.11.2022


## कार्यालय आदेश

“मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना” के अन्तर्गत सम्मिलित की गई औषधियों की दर सविदा के लिए जारी की गई बिड सूचना क्रमांक F.02(353)/RMSCL/PROCUREMENT /DRUG/NIB-10/2022/1236 Dated:-30.04.2022 के अन्तर्गत M/s Supermax Drugs & Pharmaceuticals Pvt. Ltd., H-1231, DSIDC Industrial Complex, Narela, Delhi-110040 द्वारा आईटम कोड आईटम कोड NRD-29 ( Minocycline 100mg. Capsule / Tablet) & NRD-30( Mycophenolate Mofetil 500MG Capsule / Tablet) के लिये बिड प्रस्तुत की गई थी। जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 10.06.2022 एवं वित्तीय बिड दिनांक 01.08.2022 को खोली गई। आईटम कोड NRD-29 ( Minocycline 100mg. Capsule / Tablet) पैकिंग 10x10 के लिये दर रु 7.77 + 12% GST= 8.70 कोट की थी एवं आईटम कोड NRD-30( Mycophenolate Mofetil 500MG Capsule / Tablet) पैकिंग 10x10 के लिये दर रु 2.59 + 12% GST= 2.90 कोट की थी। फर्म ने अपने पत्र दिनांक 04.08.2022 द्वारा अवगत कराया कि मानवीय भूल के कारण गलत रेट कोट हो गई। फर्म द्वारा क्रमशः रु. 17.79+GST एवं दर रु. 12.59+GST को स्वीकार करने का निवेदन किया गया था।

प्रकरण दिनांक 05.08.2022 को हुई क्रय समिति की बैठक में रखा गया जिसमें दरों को मोडिफाई मानते हुए फर्म के विरुद्ध निविदा शर्तों के तहत कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। फर्म से स्पष्टीकरण चाहने बाबत फर्म को पत्र क्रमांक 2950 दिनांक 15.09.2022 लिखा गया परन्तु फर्म ने कोई जवाब नहीं दिया।

निविदा शर्त संख्या 9(7) में निम्नांकित उल्लेखित है:-“No Bidder shall be allowed to claim revision or modification of bid after opening of bid. If any bidder withdraws or modifies its bid after opening of bid the bid security taken from the bidder shall be forfeited. Representation to make correction in the Bid documents on the ground of Clerical error, typographical error, etc., committed by the Bidders in the Bids shall not be entertained after submission of the Bids. Conditions such as “SUBJECT TO AVAILABILITY” “SUPPLIES WILL BE MADE AS AND WHEN SUPPLIES ARE RECEIVED” etc., will not be entertained under any circumstances and the Bids of those who have given such conditions shall be treated as incomplete and accordingly the Bid will be rejected.” एवं आरएमएससीएल की डिबार्सिंग पालिसी के बिन्दु संख्या 2.1 “The successful Bidder fails to execute the agreement after being declared as L-1, L-2 or L-3 etc. to perform the obligations under the Bid conditions, Bid Security Deposit of such Bidder firm shall be forfeited. If an LoA for more than one products is issued to a successful bidder and he/she/it fails to execute agreement for few items, in such case, a penalty of Rs. 2.00 lac and in case of MSME of the State of Rajasthan Rs. 50,000 shall be imposed on successful bidder and the product for which agreement is not executed shall be debarred for a period of not less than 3 years” सम्बन्धी प्रावधान हैं। फर्म के विरुद्ध बिड शर्तों के तहत कार्रवाई हेतु प्रकरण निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 29.09.2022 में रखा गया। फर्म को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुये अनुशासनात्मक समिति के समक्ष उपस्थित होने बाबत लिखा गया लेकिन फर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।

अतः बिड को मोडिफाई मानते हुए अनुशासनात्मक समिति की अनुशंषा की पालना में M/s Supermax Drugs & Pharmaceuticals Pvt. Ltd के विरुद्ध राशि रु 236000 /-(GST@18% सहित) (अक्षरे राशि रु दो लाख छत्तीस हजार मात्र) की पैनल्टी आरोपित किए जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


  
प्रबन्ध निदेशक  
आरएमएससीएल

क्रमांक : F.02(353)/RMSCL/PROCUREMENT /DRUG/NIB-10/2022/ 8586

Dated: 22.11.2022

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल.।
2. कार्यकारी निदेशक, (वित्त), आरएमएससीएल को भेज कर लेख है कि मैसर्स Supermax Drugs & Pharmaceuticals Pvt. Ltd., द्वारा जमा कराई गई बोली की प्रतिभूति राशि रु 500000 (D.D No '503502 dated 02.06.2022, ICICI BANK) जो कि इस अनुभाग की अगौ टीप क्रमांक 1861 दिनांक 28.06.2022 के द्वारा वित्त अनुभाग को भिजवाया गया है, में से पैनल्टी राशि रु 236000 ( अक्षरे राशि रु दो लाख छत्तीस हजार मात्र ) जब्त करावें।
3. कार्यकारी निदेशक (क्यू. सी.), आरएमएससीएल।
4. विशेषाधिकारी, आरएमएससीएल।
5. सम्बन्धित निविदादाता मैसर्स Supermax Drugs & Pharmaceuticals Pvt. Ltd., H-1231, DSIDC Industrial Complex, Narcla, Delhi-110040
6. संयुक्त निदेशक, आई.टी., आरएमएससीएल को भेजकर लेख है कि इस आदेश को आरएमएससीएल की वेबसाइट तथा E-aushadhi Software में अपलोड करावें।

  
कार्यकारी निदेशक (पी)  
आरएमएससीएल